न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 05/2018 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 07.03.2018
G.C.M.S. NO. :- 2018/00114

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

श्री लछ्मनदास पिता उंकारदास साधु निवासी सोमपुर बी, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा मि. न. 2/84 आवंटन दिनांक 24.05.84

उपस्थितिः–1– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 07.08.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 के तहत विरूद्ध विपक्षी के पेश कर निवेदन

किया कि मौजा सोमपुर बी की आराजी नम्बर 318 रकबा 0.43 हैक्टेयर भूमि विपक्षी श्री लछ्मनदास पिता उंकारदास साधु के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि के पुराने आराजी नम्बर 225/2 है जो कि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा जरिये मिसल नम्बर 2/84 से दिनांक 22.06.1985 को बिलानाम आराजी संख्या 225 रकबा 5 बीघा में से 2 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की जो जरिये नामान्तरण संख्या 142 दिनांक 20.05.1985 से विपक्षी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज की गई। उक्त गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि पर आवंटन के पश्चात् से अब तक किसी का भी कब्जा नहीं है व न ही मौके पर काश्त हो रही है तथा न ही विपक्षी ने आवंटन नियमों की पालना की। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को किया गया आवंटन निरस्त फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ। अतः विपक्षी के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। संबंधित भू आवंटन पत्रावली तलब की गई। तलबीदा आवंटन पत्रावली प्राप्त होने पर बहस प्रकरण राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि विपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की है तथा आवंटित भूमि पर कभी भी विपक्षी का कब्जा नहीं रहा एवं मौके पर वर्तमान मे भी उक्त भूमि पर किसी का कब्जा नहीं है तथा न ही काश्त की जा रही है। अतः आवंटन निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। आवंटन पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार भूमिधारी तहसीलदार ने विपक्षी को उक्त आवंटन उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा द्वारा जरिये मिसल नम्बर 02/84 से दिनांक 22.06.1985 को होना बताया है सर्वप्रथम तो हम यहां यह स्पष्ट करना चाहेंगे की उक्त आवंटन दिनांक 22.06.1985 को नहीं होकर दिनांक 24.05.84 को हुआ है। तत्कालीन भू आवंटन कमेटी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा विपक्षी को ग्राम सोमपुर बी की बिलानाम आराजी संख्या 225 रकबा 5 बीघा में से 2 बीघा भूमि का आवंटन गैर खातेदारी हक

से किया गया जिसे आराजी नम्बर 225/2 दिया गया जो जरिये नामान्तरण संख्या 142 दिनांक 20.05.1986 से श्री लछमनदास पिता उंकारदास साधु के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज किया जिसके नवीन आराजी संख्या 318 रकबा 0.43 हैक्टेयर बने जो कि मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। उक्त आराजी नम्बर 318 रकबा 0.43 हैक्टेयर भूमि विपक्षी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। लेकिन आवंटन के पश्चात् से उक्त भूमि पर विपक्षी का कभी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध पटवार हल्का सांगरिया के मौका पर्चा दिनांक 24.01.2018 से होती है।

पटवार हल्का सांगरिया ने अपने मौका पर्चा दिनांक 24.01.2018 जो कि मौके पर उपस्थित मौतबिरान के समक्ष बनाया है में उक्त आवंटित भूमि पर विपक्षी का कब्जा एवं काश्त नहीं होकर मौके पर पड़त होना बताया है जिस पर मौके पर उपस्थित सभी मौतबिरान के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानियां अंकित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि विपक्षी का उसको गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि पर कभी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है। विपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है। निष्कर्षतः भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी, द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षी को आराजी नम्बर 225 रकबा 5 बीघा में से 2 बीघा (जिसके नवीन आराजी संख्या 318 रकबा 0.43 हैक्टेयर) का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)